प्रेस के लिए सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 63/2024)

तत्काल प्रकाशन हेतु

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भादूविप्रा ने 'दूरसंचार अधिनियम, 2023 के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले सेवा प्राधिकारों के लिए रूपरेखा' विषय पर अपनी अनुशंसाएं जारी कीं।

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2024 — भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने आज 'दूरसंचार अधिनियम, 2023 के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले सेवा प्राधिकारों के लिए रूपरेखा' विषय पर अपनी अनुशंसाएं जारी की हैं।

2. दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने दिनांक 21.06.2024 को अपने एक पत्र के माध्यम से भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) को सूचित किया कि दूरसंचार अधिनियम, 2023 को भारत के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया गया है; और अधिनियम की धारा 3(1)(क) के तहत दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के इच्छुक किसी भी इकाई/ व्यक्ति को प्राधिकार प्राप्त करने का प्रावधान है, जो कि शुल्क या प्रभार सहित ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन है जिनको निर्धारित किया जा सकता है। पत्र के साथ, डीओटी ने संबंधित पहलुओं पर एक पृष्ठभूमि नोट भी साझा किया, जिसमें नए अधिनियम की सुसंगत धाराएँ शामिल हैं जो प्राधिकारों के निबंधन और शर्तों पर असर डाल सकती हैं।

3. दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने भादूविप्रा अधिनियम, 1997 (यथा संशोधित) की धारा 11(1)(क) के तहत दिनांक 21.06.2024 के उक्त पत्र के माध्यम से, भादूविप्रा से दूरसंचार अधिनियम 2023 के प्रावधानों के अनुसार दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने हेतु प्राधिकार के लिए शुल्क या प्रभार सहित निबंधन और शर्तों पर अनुशंसाएं प्रदान करने का अनुरोध किया था।

4. इस संबंध में, प्राधिकरण ने **दिनांक 11.07.2024 को 'दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत प्रदान किए जाने वाले सेवा प्राधिकारों के लिए रूपरेखा'** विषय पर एक परामर्श पत्र जारी किया, जिसमें पृष्ठभूमि की जानकारी दी गई, और परामर्श पत्र में उठाए गए 61 मुद्दों पर हितधारकों से टिप्पणियाँ और प्रति-टिप्पणियाँ मांगी गईं। शुरुआत में टिप्पणियाँ और प्रति-टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि क्रमशः दिनांक 1 अगस्त 2024 और 8 अगस्त 2024 थी। तथापि, कई हितधारकों से प्राप्त अनुरोध पर लिखित टिप्पणियाँ और प्रति-टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि क्रमशः 8 अगस्त 2024 और 16 अगस्त 2024 तक बढ़ा दी गई थी।

5. परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों के जवाब में, 48 हितधारकों ने टिप्पणियाँ और 17 हितधारकों ने प्रति टिप्पणियाँ प्रस्तुत कीं। परामर्श प्रक्रिया के हिस्से के रूप में, भादूविप्रा ने दिनांक 21.08.2024 को वर्चुअल मोड के माध्यम से परामर्श पत्र पर एक खुला मंच चर्चा (ओएचडी) का आयोजन किया। खुला मंच चर्चा (ओएचडी) के उपरांत, सात हितधारकों ने अतिरिक्त लिखित प्रस्तुतियाँ प्रस्तुत कीं। परामर्श प्रक्रिया के दौरान, हितधारकों ने बहुत सक्रिय रूप से भाग लिया और परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों के जवाब में विस्तृत जानकारी प्रदान कीं। कुल मिलाकर, 21 संघों, 22 सेवा प्रदाताओं, छह कंपनियों और संगठनों और एक उपभोक्ता संगठन ने, 1700 से अधिक पृष्ठों की लिखित प्रस्तुतियाँ प्रस्तुत कीं, जबकि 250 से अधिक प्रतिभागियों ने ओएचडी में भाग लिया।

6. परामर्श प्रक्रिया के दौरान हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों और अपने स्वयं के विश्लेषण के आधार पर, भादूविप्रा ने **'दूरसंचार अधिनियम, 2023 के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले सेवा प्राधिकारों के लिए रूपरेखा'** विषय पर अपनी अनुशंसाओं को अंतिम रूप दिया है। इन अनुशंसाओं का उद्देश्य देश में मौजूदा दूरसंचार सेवा लाइसेंसिंग व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार करना, और इस क्षेत्र में विकास को बढ़ावा और व्यवसाय करने में आसानी बढ़ाने पर है। इन अनुशंसाओं के माध्यम से, प्राधिकरण ने विभिन्न सेवा प्राधिकारों के विस्तृत निबंधन और शर्तों के अलावा, दूरसंचार अधिनियम, 2023 के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले एक नए सेवा प्राधिकार रूपरेखा की अनुशंसा की है।

7. 'दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत प्रदान किए जाने वाले सेवा प्राधिकारों के लिए रूपरेखा' की अनुशंसाएं चार अध्याय में हैं, जो कि 350 पृष्ठों से ज्यादा में हैं। विभिन्न सेवा प्राधिकारों के लिए, विभिन्न नियमों में शामिल किए जाने वाले निबंधन एवं शर्तों की भी अनुशंसा की गई है। कुल मिलाकर, अनुशंसित सेवा प्राधिकारों के लिए 14 नियमों को 440 पृष्ठों में दिया गया है। इन अनुशंसाओं के मुख्य बिंदु नीचे दिए गए हैं:

(क) केंद्र सरकार को इकाई के साथ करार करने के स्थान पर दूरसंचार अधिनियम, 2023 की धारा 3(1) के तहत सेवा प्राधिकार प्रदान करना चाहिए।

(ख) सेवा प्राधिकार एक संक्षिप्त दस्तावेज होना चाहिए, जिसमें प्राधिकार के आवश्यक तत्व शामिल हों; और अधिकृत ईकाईयों द्वारा पालन किए जाने वाले निबंधन और शर्तें, दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत अधिसूचित नियमों के माध्यम से निर्धारित की जानी चाहिए।

(ग) पात्रता शर्ते, सेवा के दायरे, वैधता अवधि आदि सहित विभिन्न सेवा प्राधिकार की व्यापक रूपरेखा, सेवा प्राधिकार प्रदान करने के लिए नियमों के रूप में होनी चाहिए ।

(घ) प्राधिकरण ने दूरसंचार सेवा प्राधिकारों की तीन व्यापक श्रेणियों की अनुशंसाएं की है, अर्थात्,

i. मुख्य सेवा प्राधिकार

ii. सहायक सेवा प्राधिकार

iii. कैप्टिव सेवा प्राधिकार

(ङ) मुख्य सेवा प्राधिकार उन सभी प्राथमिक दूरसंचार सेवाओं को शामिल करता है जो बड़े पैमाने पर जनता को दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने में शामिल हैं जैसे कि एक्सेस सेवाएँ, इंटरनेट सेवाएँ, लंबी दूरी की सेवाएँ, सैटेलाइट आधारित सेवाएँ, और एम2एम डब्लूएएन सेवाएं।

(च) सभी मुख्य सेवा प्राधिकार दो उप-श्रेणियों अर्थात नेटवर्क सेवा ऑपरेटर (एनएसओ), और वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर (वीएनओ) में दिए जाने हैं। वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर (वीएनओ) के लिए, वायरलेस सेवाओं को छोड़कर, जहां पेरेंटिंग केवल एक नेटवर्क सेवा ऑपरेटर (एनएसओ) के साथ हो सकती है, एक्सेस सेवा में एनएसओ के साथ मल्टी-पेरेंटिंग की अनुमति दी गई है।

(छ) सहायक सेवा प्राधिकार में अन्य सभी मौजूदा सेवा प्राधिकार (कैप्टिव सेवाओं को छोड़कर) शामिल हैं, जिनका उपयोग आम जनता को सेवा प्रदान करने के लिए नहीं किया जाता है अथवा वर्तमान व्यवस्था में बहुत लाइट टच विनियम प्रबंधन होता है। इसमें पीएमआरटीएस, पीएम-वानी, एम2एम सेवा और डब्ल्यूपीएन/डब्ल्यूएलएएन कनेक्टिविटी सेवा, एंटरप्राइज संचार सेवा, आईएफएमसी, विमान और ग्राउंड स्टेशनों के बीच डेटा संचार सेवा आदि जैसी सेवाएं शामिल हैं। प्रत्येक सेवा प्राधिकार अलग-अलग निबंधन और शर्तों द्वारा नियंत्रित होगा जिन्हें प्रत्येक सेवा प्राधिकार के लिए अलग-अलग नियमों के माध्यम से निर्धारित किया जायेगा।

(ज) कैप्टिव सेवा प्राधिकार में केंद्र सरकार से स्पेक्ट्रम प्राप्त करके कैप्टिव नेटवर्क की संस्थापना और संचालन के लिए सेवा प्राधिकार शामिल हैं, जैसे कि सीएमआरटीएस, सीएनपीएन, कैप्टिव वीसैट सीयूजी, आदि। प्रत्येक सेवा प्राधिकार अलग-अलग निबंधन और शर्तों द्वारा नियंत्रित होगा जिन्हें प्रत्येक सेवा प्राधिकार के लिए अलग-अलग नियमों के माध्यम से निर्धारित किया जायेगा।

(झ) नए प्राधिकार रूपरेखा के तहत, सेवाओं और सेवा क्षेत्रों में 'एक राष्ट्र - एक प्राधिकार' के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए "एकीकृत सेवा प्राधिकार" प्रस्तुत किया गया है। एकीकृत सेवा प्राधिकार रखने वाली इकाई एक ही प्राधिकार के तहत अखिल भारतीय आधार पर मोबाइल सेवा, इंटरनेट सेवा, ब्रॉडबैंड सेवा, लैंडलाइन टेलीफोन सेवा, लंबी दूरी की सेवा, सैटेलाइट संचार सेवा, मशीन-से-मशीन

(एम2एम) और आईओटी सेवा आदि प्रदान कर सकती है। एकीकृत सेवा प्राधिकृत इकाई को अपने घरेलू ट्रैफ़िक को रूट करने के लिए पूर्ण लचीलापन होगा।

(ञ) भादूविप्रा ने अपनी अनुशंसाओं में केंद्र सरकार को एकीकृत सेवा प्राधिकृत इकाई के लिए राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय लेखांकन और रिपोर्टिंग, नंबरिंग संसाधनों का आवंटन, स्पेक्ट्रम के आवंटन के लिए एक ग्लाइड पाथ प्रदान करने को कहा है।

(ट) एक्सेस सेवा के दायरे में गैर-स्थलीय नेटवर्क (एनटीएन) के उपयोग की अनुमति दी गई है।

(ठ) नए प्राधिकार रूपरेखा के तहत इंटरनेट सेवा प्राधिकार के दायरे को बढ़ाकर लीज्ड लाइनों और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) के प्रावधान को शामिल किया गया है। इससे इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को अपने नेटवर्क संसाधनों का बेहतर उपयोग और मुद्रीकरण करने में सहायता मिलेगी।

(ड) नए प्राधिकार रूपरेखा के तहत, राष्ट्रीय लंबी दूरी (एनएलडी) सेवा और अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी (आईएलडी) सेवा को एक ही प्राधिकार में विलय कर दिया गया है, जिसका नाम है 'लंबी दूरी सेवा प्राधिकार'। इस प्राधिकार के तहत दोनों घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सबमरीन केबलों के लिए केबल लैंडिंग स्टेशनों की स्थापना की भी अनुमति होगी। भारत के दो तटीय शहरों को जोड़ने वाली सबमरीन केबलों के माध्यम से घरेलू यातायात को ले जाने की अनुमति 'लंबी दूरी सेवा प्राधिकार' में दी गई है।

(ढ) नए प्राधिकार रूपरेखा के तहत, कमर्शियल वीसैट-सीयूजी सेवा और जीएमपीसीएस को एक ही प्राधिकार में विलय कर दिया गया है, जिसका नाम 'सैटेलाइट आधारित दूरसंचार सेवा प्राधिकार' है। नए प्राधिकार रूपरेखा के तहत वीसैट ऑपरेटरों पर केवल बंद उपयोगकर्ता समूह (सीयूजी) को सेवाएं प्रदान करने के मौजूदा प्रतिबंध को हटा दिया गया है। वीसैट आधारित एफएसएस और जीएमपीसीएस सेवा दोनों को सैटेलाइट आधारित दूरसंचार सेवा प्राधिकार के दायरे में शामिल किया गया है।

(ण) सैटेलाइट आधारित दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को भारत सरकार से अनुमति प्राप्त करने के बाद, विदेशों में सेवा प्रदान करने के लिए भारत में स्थापित सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे के उपयोग करने की भी अनुमति दी जाएगी।

(त) यह स्पष्ट किया गया है कि सैटेलाइट के माध्यम से आपातकालीन एसओएस (SOS) संदेश सेवाओं का प्रावधान मौजूदा जीएमपीसीएस सेवा प्राधिकार के दायरे के साथ-साथ, नए ढांचे के तहत सैटेलाइट आधारित दूरसंचार सेवा प्राधिकार में शामिल है।

(थ) प्राधिकृत इकाइयों को भारत में स्थित ऐसे क्लाउड सेवा प्रदाताओं से पट्टे पर या किराए पर दूरसंचार संसाधन लेने की अनुमति दी गई है, जो या तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY), भारत सरकार द्वारा क्लाउड सेवा प्रदाता के रूप में सूचीबद्ध हैं, या दूरसंचार अधिनियम, 2023 की धारा 3(1) के तहत अधिकृत हैं। क्लाउड भारत में स्थित होना चाहिये।

(द) प्राधिकृत इकाइयां, विशेष रूप से छोटी और मध्यम आकार की इकाइयां, तीसरे पक्ष के क्लाउड-आधारित बुनियादी ढाँचे से, कम लागत, बेहतर नेटवर्क लचीलापन, कम समय में बाज़ार में पहुँचने, और ज़रूरत के आधार पर नेटवर्क क्षमताओं के अनुकूलन के मामले में लाभ उठा सकती हैं।

(ध) प्राधिकृत इकाइयों को सभी सक्रिय और निष्क्रिय बुनियादी ढांचे को आपस में साझा करने की अनुमति दी गई है।

(न) नए प्राधिकार रूपरेखा के तहत, मौजूदा ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग/ ऑडियोटेक्स/ वॉयस मेल सेवा प्राधिकार के दायरे को क्लाउड-आधारित ईपीएबीएक्स सेवा को शामिल करने के लिए बढ़ाया गया है, और प्राधिकार का नाम बदलकर 'एंटरप्राइज कम्युनिकेशन सेवा प्राधिकार' कर दिया गया है।

(ऩ) नए प्राधिकार रूपरेखा के तहत, मौजूदा एम2एम सेवा प्रदाता पंजीकरण और एम2एम डब्ल्यूएलएएन/ डब्ल्यूपीएएन कनेक्टिविटी प्रदाता पंजीकरण को एक ही प्राधिकार में मिला दिया गया है, जिसका नाम 'एम2एम सेवा और एम2एम डब्ल्यूएलएएन/ डब्ल्यूपीएएन कनेक्टिविटी सेवा प्राधिकार' कर दिया गया है।

(प) स्वैच्छिक आधार पर मौजूदा सेवा प्रदाताओं को नए प्राधिकार व्यवस्था में आसानी से स्थानांतरित करने की अनुमति देने के लिए रूपरेखा की अनुशंसा की गई है।

(फ) उद्योग का समर्थन करने के एक और प्रयास में, प्राधिकार नवीकरण के लिए प्रवेश शुल्क को समाप्त करने की अनुशंसा की गई है। यह कदम मौजूदा और नए दोनों खिलाड़ियों पर वित्तीय बोझ को कम करने के लिए है, विशेष रूप से वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटरों को लाभान्वित करता है, इस तरह सुचारू संचालन और अधिक गतिशील दूरसंचार परिदृश्य सुनिश्चित करता है।

(ब) विभिन्न सेवा प्राधिकारों के लिए प्रवेश शुल्क में काफी कमी की गई है, जिससे नए सेवा प्रदाताओं के लिए दरवाजे खोलने, नए निवेश लाने और दूरसंचार बाजार के भीतर प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।

(भ) मुख्य सेवा प्राधिकारों के लिए, प्रवेश शुल्क की अनुशंसाएं इस प्रकार की गई हैं -

- एक्सेस सेवा प्राधिकार: प्रत्येक टेलीकॉम सर्किल/मेट्रो क्षेत्र के लिए प्रवेश शुल्क 1 करोड़ रुपये से घटाकर 50 लाख रुपये किया गया, जम्मू-कश्मीर और उत्तर-पूर्व प्रत्येक के लिए 50 लाख रुपये से 25 लाख रुपये प्रति।
- इंटरनेट सेवा प्राधिकार: श्रेणी-ए के लिए: प्रवेश शुल्क 30 लाख रुपये से घटाकर 20 लाख रुपये; श्रेणी-बी के लिए: प्रत्येक दूरसंचार सर्कल के लिए प्रवेश शुल्क 2 लाख रुपये से घटाकर 1 लाख रुपये और जम्मू-कश्मीर और उत्तर-पूर्व प्रत्येक के लिए 50 हजार रुपये किया गया; और श्रेणी-सी: कोई प्रवेश शुल्क नहीं।
- एम2एम डब्ल्यूएएन सेवा प्राधिकार (श्रेणी-A, B, C): कोई प्रवेश शुल्क नहीं
- एकीकृत सेवा प्राधिकरण: प्रवेश शुल्क 12 करोड़ रुपये
- लंबी दूरी सेवा प्रधिकार: प्रवेश शुल्क 1 करोड़ रुपये
- सैटेलाइट आधारित दूरसंचार सेवा प्राधिकार : प्रवेश शुल्क रु. 50 लाख

(म) सहायक सेवा प्राधिकारों और कैप्टिव सेवा प्राधिकारों के लिए, प्रवेश शुल्क की अनुशंसाएं इस प्रकार की गई है -

- पीएमआरटीएस प्राधिकार: प्रत्येक दूरसंचार सर्किल / मेट्रो क्षेत्र के लिए प्रवेश शुल्क 50 हजार रुपये से घटाकर 20 हजार रुपये
- एंटरप्राइज संचार सेवा प्राधिकार: कोई प्रवेश शुल्क नहीं
- विमान और ग्राउंड स्टेशनों के बीच डेटा संचार सेवा: प्रवेश शुल्क 1 लाख रुपये
- कैप्टिव वीसैट एफएसएस: प्रवेश शुल्क 15 लाख रुपये से घटाकर 7.5 लाख रुपये

(य) प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और सेवाओं के बेहतर प्रावधान के लिए वीएनओ सेवा प्राधिकारों के लिए प्रवेश शुल्क में भारी कमी की गई है।

(र) वित्तीय बैंक गारंटी (एफबीजी) और निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी) दोनों के प्रावधानों वाले प्राधिकारों के लिए, एफबीजी और पीबीजी को एक ही बैंक गारंटी में विलय कर दिया जाना चाहिए।

(ऱ) कारोबार करने में आसानी बढ़ाने के लिए राजस्व विवरण के लिए सरलीकृत फार्मेट, राजस्व विवरण के साथ शपथ पत्र और इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी (ईबीजी) को अपनाने की अनुशंसा की गई है।

(ल) बैंक गारंटी के विलय और शपथ पत्र को स्व-प्रमाण पत्र के साथ बदलने से प्रक्रियाओं को सरल बनाने और व्यापार करने में आसानी बढ़ने की उम्मीद है।

(ळ) हितधारकों की यह चिंता कि सरकार प्राधिकार की निबंधन एवं शर्तों में एकपक्षीय तरीके से संशोधन कर सकती है, को संज्ञान में लिया गया है। विनियामक स्थिरता प्रदान करने के लिए, यह अनुशंसा की गई है कि राज्य की सुरक्षा के हित के कारण को छोड़कर, प्राधिकार की शर्तों में किसी भी महत्वपूर्ण बदलाव के लिए, केंद्र सरकार को भादूविप्रा की अनुशंसाएं लेनी चाहिए। इससे प्रक्रिया में और अधिक पारदर्शिता आएगी।

8. ये अनुशंसाएं भादूविप्रा की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर डाल दी गई हैं। किसी भी स्पष्टीकरण/ जानकारी के लिए श्री अखिलेश कुमार त्रिवेदी, सलाहकार (नेटवर्क, स्पेक्ट्रम और लाइसेंसिंग), भादूविप्रा से टेलीफोन नंबर +91-11-20907758 पर संपर्क किया जा सकता है।

अतुल चौधरी 18/09/2024

(अतुल कुमार चौधरी)

सचिव, भा.दू.वि.प्रा